रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 27, 1995/वैशाख 7, 1917
No. 182] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 1995/VAISAKHA 7, 1917

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1995

सा. का. नि. 362 (अ) :—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति) (संशोधन) विनियम, 1995 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महा पत्तन न्यास, अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पोर्ट का न्यासी मंडल, कांडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) विनियम, 1966 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:—

1. ये विनियम कांडला पोर्ट कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति (संशोधन) विनियम, 1995 कहे जाएंगें।

2. ये विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगें।

(1) कांडला पोर्ट कर्मचारी, (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) विनियम, 1966 के विनियम 3 (1) के नीचे उल्लिखित शिक्षा शुल्क से संबंधित दरों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:—

अधिकतम निम्नलिखित के अधीन रहते हुए

"6 कक्षा से 10 वीं तक	रु. 20/-प्रतिमाह
11 कक्षा से 12 वीं तक	रु. 25/- प्रतिमाह"

(2) विनियम 4 (क) (1) में—पात्रता-शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे की पात्रता संबंधी रु. 1930/—की जो राशि दूसरी पंक्ति में दर्शायी गयी है उसे "रु. 4100/-" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

(3) उसी प्रकार, विनियम 4 (क) (1) के पश्चात्वर्ती पैराग्राफ में रु. 1930/- के आंकड़े को रु. 4100/— के आंकड़े से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी आर—12016/9/94 पी ई I]
चरण सिंह खैरवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल विनियम क्रमशः गुजरात सरकार के राजपत्र के भाग-4-सी के पृष्ठ सं. 574-581 दिनांक 06-04-67 एवम् पृष्ठ सं. 610-617 दिनांक 13-4-67 के द्वारा प्रकाशित हुए तथा उसमें सा. का. नि. सं. 913 (अ) दिनांक 08-09-1988 के द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1995

G.S.R. 362(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) (Amendment) Regulations, 1995 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Kandla hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1966, namely :—

1. These Regulations may be called the Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) (Amendment) Regulations 1995.

2. These Regulations shall come into force w.e.f. the date of its publication in the gazette of India.

(1) Substitute the rates of tuition fees given below Regulation 3(i) of Kandla Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1966 by the following :—

	Subject to maximum of
"Class VIth to X	Rs. 20|- per month.
"Class VI to XIIth	Rs. 25.- per month.

(2) In Regulation 4 (a) (i)-Eligibility-the figure of Rs. 1930|- appearing in 2nd line for being eligible for claiming reimbrusement of tuition fees may be substituted by the figure "Rs. 4100|-".

(3) Similarly, in subsequent para of Regulation 4 (a) (i), the figure of Rs. 1930|- may be substituted by the figure Rs. 4100|-.

[No. PR-12066|9|94-PE-I)]
C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

FOOT NOTE :—Principal regulations were published in Gujarat Government Gazette in Part IV-C, at pages 574-581 and 610-617 dated 06-04-1967 and 13-04-1967 respectively and subsequently amended vide GSR No. 913(E) dated 08-09-1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995